न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या – 98 / 2021

निर्णय दिनांक– 23.06.2021

उनवान

1. गिरधरसिंह पुत्र मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
2. गोपालसिंह पुत्र मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
3. गोविन्दसिंह पुत्र मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार उनियारा जिला टोक
2. किशनसिंह पुत्र मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
3. किशनकंवर पुत्री मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
4. खान कंवर पुत्री मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
5. गीता कंवर पुत्री मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
6. ज्याना कंवर पुत्री मूलीबाई जाति दरोगा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री महेन्द्रप्रताप सिंह वकील प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी **खसरा नम्बर 530 / 1.66, 533 / 0.84, 534 / 3.00, 535 / 0.48, 545 / 0.27, 546 / 0.56, 554 / 0.51 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम कचरावता** तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पडोसी काश्तकारान द्वारा प्रार्थी को आए दिन परेशान करते है। जिससे आए दिन विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की सीमाए बिगडी हुई है। उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी **खसरा नम्बर 530 / 1.66, 533 / 0.84, 534 / 3.00, 535 / 0.48, 545 / 0.27, 546 / 0.56, 554 / 0.51 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम कचरावता** तह0

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया गया।

प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा ने जवाब पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर में अन्य खातेदार भी है, जिनकों पक्षकार नही बनाया हैं। तथा उक्त ग्राम का पटवार हल्का खाली हैं जिसके कारण पत्थरगढी संभव नही है एवं उक्त खसरान नम्बरान का सीमाज्ञान करने के बाद ही पत्थरगढी किया जाना संभव है।

प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में सहखातेदार को पक्षकार बनाया एवं प्रतिपक्षी न0 2 ता 6 ने सहमती पत्र पेश किया कि उन्हे उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करने मे कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थीगण की वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी **खसरा नम्बर 530/1.66, 533/0.84, 534/3.00, 535/0.48, 545/0.27, 546/0.56, 554/0.51 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम कचरावता** तह0 उनियारा देह खातेदार दर्ज है। सहखातेदारान प्रतिपक्षी न0 2 ता 6 ने सहमती पत्र पेश किया कि उन्हे उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करने मे कोई आपत्ति नही है। उक्त आराजी पर विवाद की संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 530/1.66, 533/0.84, 534/3.00, 535/0.48, 545/0.27, 546/0.56, 554/0.51 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम कचरावता तह0 उनियारा का प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपनां वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक